संख्या-22/830/63-व0उ0-2015-30(एच)/15

प्रेषक,

राज बहादुर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त 2015**

विषय:- यूपिका पर प्रदेश के बुनकरों के लम्बित देयों के भुगतान हेतु रू0 2.57 करोड़ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर के पत्र संख्या-447/आपूर्ति अनु0/2015-16, दिनांक 04.06.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन (यूपिका) पर प्रदेश के बुनकरों के लम्बित देयों के भुगतान हेतु रू0 2.57 करोड़ (रूपया दो करोड़ सत्तावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति ऋण के रूप में श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत किये जा रहे ऋण की शर्तें निम्नवत हैं :-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उक्त ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी।

(ii) ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50+3.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 3.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(iii) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर ब्याज दर में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 15 प्रतिशत होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रेतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली पहली वर्षगांठ तिथि को की जानी होगी।

3- उपर्युक्त शर्तें अनन्तिम होंगी। वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित शर्तें इस ऋण पर स्वत: लागू मानी जायेंगी।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके 01 माह में शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर का होगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 2.57 करोड़ (रूपया दो करोड़ सत्तावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 (आयोजनेत्तर) के अधीन लेखाशीर्षक-**"6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज 01-वस्त्र उद्योग 190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज 03-बुनकरों के लम्बित देयों के भुगतान हेतु यूपिका को ऋण 30-निवेश/ऋण"** के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-ई-6-490/दस-2015, दिनांक 21.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

राज बहादुर
अनु सचिव।

संख्या-830(1)/63-व0उ0-2015-30(एच)/15, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन (यूपिका), कानपुर।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक/लेखाधिकारी, यूपिका, कानपुर।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज बहादुर
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in